

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1180/2002/जयपुर

अपील संख्या 1238/2002/जयपुर

मैसर्स राजस्थान हाफ बॉडी ट्रक वर्क्स
ट्रांसपोर्ट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,
एस-5, महावीर नगर, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सर्किल - सी, सर्किल डी, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13.01.2017

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, प्रथम जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 22.07.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सी एवं वृत्त डी जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 6(4) सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 की धारा 20 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.10.1991 के जरिये व्यवहारी का पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द किये जाने को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने तथा धारा 17 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.05.1995 द्वारा निरस्त किये जाने की पुष्टि की गई है, को अधिनियम की धारा 85 के तहत विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी एक सहकारी समिति है एवं पत्थर खान मालिकों से अनुबंध की इमारती पत्थर के व्यवसाय में कार्यरत है। इसके लिये अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यवसाय दिनांक 01.04.1981 से प्रारम्भ किया। दिनांक 26.10.1991 के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, मण्डल-डी, जयपुर (जिसको आगे से 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) ने व्यवहारी अपीलार्थी को व्यवसायी नहीं मानते हुए कर दायित्व नहीं होने से पंजीयन की आवश्यकता नहीं होने पर भी, छल कपट/गलत तथ्य दर्शाकर दिनांक 03.04.1981 से राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 6 के तहत पंजीयन प्राप्त कर लिया था, को दिनांक 28.10.1991 के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने दिनांक 28.11.1991 को अधिनियम की धारा 17 के तहत एक संशोधन प्रार्थना पत्र सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें आदेश दिनांक 28.10.1991 को तथ्यों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त करते हुए पुनः पंजीयन बहाल करने का निवेदन किया परन्तु सशक्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 16.05.1995 के द्वारा संशोधन प्रार्थना अस्वीकार कर दिया।



लगातार.....2

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 28.10.1991 तथा दिनांक 16.05.1995 के विरुद्ध व्यवहारी अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2002 के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया एवं पारित अपील आदेश में निम्न प्रकार से प्रतिपादन किया गया है :-
 "अपीलार्थी के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है कि पंजीयन रद्द करने से उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तथा वह कारोबार से वंचित हो गया है एवं उसके आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अधिनियम की प्रावधानों के अन्तर्गत केजुवल कॉमोडिटी में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को पंजीयन प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है। अपीलार्थी का दायित्व नहीं होते हुए भी उसने स्वेच्छा से अपना पंजीयन करा लिया था।

मैं उप-राजकीय अधिवक्ता की इस बहस से सहमत हूँ कि निम्न प्राधिकारियों के कृत्य के लिए राज्य पर वचन-बद्धता का विवंध लागू नहीं होता। वर्तमान प्रकरण में यदि पंजीयन जारी करते समय कर निर्धारण अधिकारी से सद्भावपक्ष हो गई थी तो सरकार पर एस्टोपल लागू नहीं होता। प्रोद्वरित निर्णय (1955) 16 एसटीसी-पेज-272 में माननीय उड़ीसा न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विक्रयकर प्राधिकारी योग्य व्यक्तियों को पंजीयन जारी करने में सक्षम नहीं है और न ही वे ऐसे व्यक्तियों को पंजीयन दे सकते हैं जो बिजनस नहीं करते। विभाग के अधिकारियों द्वारा भूलवश या मिलीभगत से ऐसा कर दिया गया हो तो राज्य सरकार पर वचनबद्धता का विवंध (एस्टोपल) लागू नहीं होता।

उपरोक्त विवेचनानुसार मेरे विनम्र मत में अपीलार्थी डीलर नहीं है अतः आक्षेपाधित आदेश द्वारा अपीलार्थी सोसाईटी का पंजीयन रद्द किया जाना विधिसम्मत है अतः उसकी पुष्टि की जाती है और तारहीन पाये जाने के कारण अपीलार्थी को अपील खारिज की जाती है। चूँकि मूल आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जा चुकी है अतः संशोधन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील भी निष्प्रभावी या निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है।"

3. विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.07.2002 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.07.2002 को अविधिक व मनमाना आदेश पारित करना कथित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका व्यवसाय दिनांक 01.04.1981 से प्रभावशील है। विभाग द्वारा व्यवहारी ने अपीलार्थी को जाँच करने तथा संतुष्टि के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 238/81 जारी किया गया था जो बाद में क्रमांक 2423/03181 में परिवर्तित किया गया था।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा एग्रीमेंट के माध्यम से द्वारा खनिज पत्थर की कीमत तय की जाती है जो कि खदान मालिक ट्रक यूनियन तथा अपीलार्थी के बीच में तय होती है एवं उक्त कीमतें/दरें वाणिज्यिक कर विभाग को भी समय-समय पर उपलब्ध करवायी जाती रही हैं। अपीलार्थी समिति द्वारा सम्पूर्ण लेख तैयार किये जाते हैं एवं इमारती पत्थर के क्रय-विक्रय से संबंधित बहियात की ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेड के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती रही है। उक्त ऑडिट रिपोर्ट भी वक्त कर निर्धारण संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती रही हैं उन्होंने गत वर्षों में जमा करवाये गये कर के आंकड़े भी प्रस्तुत किये। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि अपीलार्थी समिति आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी निर्धारिती व्यवहारी हैं।

7. अपीलार्थी समिति सन् 1981 से लगातार पत्थरों की बिक्री पर कर चुकाती रही है जिसकी दरें वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती रही हैं। कर दर निर्धारण के लिये गठित समिति समय-समय पर पत्थर के अनुपातिक बिक्री कीमत में वृद्धि भी करती रही है परन्तु सशक्त अधिकारी ने प्रथम बार दिनांक 13.10.1986 को अपीलार्थी के व्यवहारी नहीं होने बाबत् नोटिस जारी किया कि क्यों न आपका पंजीयन निरस्त कर दिया जावे इसके पश्चात् अलग-अलग सालो में 6 नोटिस इस बाबत् जारी किये गये है। अपीलार्थी व्यवहारी ने नोटिसों के संबंध के प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया एवं पूर्व में पारित कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत किये गये। व्यवहारी के बहियात एवं प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर खरीद व बिक्री को स्वीकार करते हुए व्यवहारी को "व्यवहारी" मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा दि. 28.10.1991 को अपीलार्थी के प्रत्युत्तर को अस्वीकार करते हुए तथा राजस्थान बिक्री कर नियम 1955 के नियम 20 के तहत छल कपट साबित किये बिना ही अपीलार्थी का पंजीयन पत्र निरस्त कर दिया गया जो किसी भी पैमाने पर विधिक नहीं माना जा सकता है अपीलार्थी को न तो प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया एवं न ही ऐसी कोई सामग्री जो व्यवसायी के विरुद्ध आदेश पारित करते समय उपयोग में ली गई से अवगत करवाया गया।

8. सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 28.10.1991 के विरुद्ध धारा 17 के तहत प्रस्तुत संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र को कर निर्धारण अधिकारी ने सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए अस्वीकार कर देने को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने भी कानूनी व्याख्या किये बिना ही यह अभिनिर्धारण कर दिया गया कि व्यवहारी अपीलार्थी अधिनियम की धारा 2(f)(ii) के तहत व्यवहारी नहीं है तथा उसको पंजीयन की आवश्यकता नहीं होने से पंजीयन निरस्त करने के सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर दी जो त्रुटि युक्त एवं अविधिक होने से अपास्तनीय है।

9. विद्वान अभिभाषक ने स्पष्ट किया कि उनके व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में निहित है, को बाधित किया गया है क्योंकि अपीलार्थी इमारती पत्थर की खरीद एवं बिक्री का व्यवसाय करता है। अधिसूचनां दिनांक 23.10.1967 के द्वारा राज्य सरकार ने इमारती पत्थर को आकस्मिक वस्तु घोषित किया था और वह अधिनियम की धारा 2(ccc) के अनुसार परिभाषित आकस्मिक व्यवहारी नहीं है क्योंकि इसके लिये केवल यदा-कदा संव्यवहार करने वाले व्यवहारी आते हैं परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी नियमित एवं लगातार संव्यवहार करते हैं अतः धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुरूप नियमित व्यवहारी की श्रेणी में आते हैं। चूंकि व्यवहारी ने अधिनियम के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए पंजीयन प्रमाण-पत्र आवेदित किया था जिस पर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही संबंधित अधिकारी ने पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया था।

10. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नियम 20 के तहत किसी प्रकार का छल कपट के यत्न से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना साबित नहीं किया है एवं इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अगर व्यवसाय करते समय उनके द्वारा यदि पंजीयन प्राप्त नहीं किया जाता तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(1)(a)/59 के तहत शास्ति आकर्षित हो सकती थी। इसके संबंध में उन्होंने राजस्थान राज्य बनाम हंसराज व अन्य (1980) 46 एसटीसी पृष्ठ 19 का उद्धरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी कथन किया कि सशक्त अधिकारी को 10 वर्ष पश्चात् पंजीयन निरस्त करने की अधिकारिता नहीं होने के बावजूद भी अकारण ही निरस्तीकरण आदेश पारित किया। अतः उक्तादेश निरस्तनीय होने से उसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना भी अविधिक है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने निम्न उद्धरण प्रस्तुत किए :-

✓

श्री हरचरण प्रकाश बनाम कर निर्धारण प्राधिकारी 1963 एसटीसी 549 मैसर्स एम. के. ट्रेडिंग कंपनी बनाम पंजाब राज्य, पी एण्ड एच हाईकोर्ट 1976 एसटीसी 237 प्रेम रतनमल बनाम सहायक आयुक्त 1974 एसटीसी पेज 316 मैसर्स कपूर विविंग फैक्टरी बनाम एक्सेशन आफिसर वाल्यूम xxvii STC 376, अनुपम एजेन्सी बनाम पंजाब राज्य 1995 एसटीसी 339 पी एण्ड एच हाईकोर्ट तथा अर्जन सिंह बनाम एक्सार्ज एण्ड टैक्सेशन आफिसर 1956 एसटीसी 457 में प्रकाशित न्यायिक उद्धरण पेश किये गये।

उपरोक्त आधारों तथा अपील संख्या 685/2003 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 26.04.2016 का हवाला देते हुए जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपील आदेश पारित किया गया है, का उद्धरण प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त प्रस्तुत समस्त तथ्यों व अपील आधारों के अवलोकन के पश्चात् सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करते हुए पंजीयन प्रमाण-पत्र बहाल करने की प्रार्थना की गई।

11. उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने पंजीयन प्रमाण-पत्र छल कपट से प्राप्त किया था क्योंकि वह व्यवहारी की परिभाषा में ही नहीं आता था। अपीलार्थी सोसायटी द्वारा बिल्डिंग स्टोन की कार्ड खरीद/बिक्री नहीं की जाती और बिना खरीद/बिक्री किये कोई डीलर नहीं हो सकता। वैसे भी अधिनियम की धारा 2(एफ)(ii) के अन्तर्गत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत व्यवसाई या तो समिति के सदस्यों से कोई माल खरीद सकते हैं या फिर उनको कोई माल बेच सकते हैं। सदस्यों के अलावा समिति किसी अन्य से खरीद बिक्री संव्यवहार नहीं कर सकती है। आदेशाधीन आदेश के अनुसार सदस्य स्वयं खानों से बिल्डिंग स्टोन खरीद करते हैं एवं भुगतान करते हैं। समिति केवल मात्र बिक्रीकर वसूल करने के उद्देश्य से बिक्री बिल जारी करती है। पूरा विक्रय मूल्य वसूल न करके केवल बिक्रीकर व सदस्यता शुल्क ही वसूलती है, जो अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय मूल्य की परिभाषा के विरुद्ध है। समिति ने ना तो सदस्यों से माल खरीदा और न ही सदस्यों को माल बेचा, अतः वह व्यवहारी की परिभाषा में नहीं आती और पंजीयन प्राप्त करते समय जानबूझकर सोची समझी चाल के तहत उसने अपने आप को व्यवहारी बताया जो एक छल कपट है। छल कपट के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि वर्षों बाद छल कपट पकड़ में आते हैं और विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत उन पर कार्यवाही की जाती है। व्यवहारी समिति के नियमित डीलर या आकस्मिक व्यवहारी होने का विवाद बेमाने है क्योंकि वह तो डीलर भी नहीं है। उपर्युक्त आधार पर विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि कर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपील में मुख्य बिन्दू यह है कि अपीलार्थी समिति दिनांक 01.04.1981 से विभाग में पंजीकृत थी एवं लगातार लगभग 10 वर्षों तक व्यवसाय किया गया एवं कर वसूल किया गया। तत्पश्चात् सशक्त अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.10.1991 के द्वारा यह मानते हुए की व्यवसायी डीलर की श्रेणी में नहीं आता है अतः उसको पंजीयन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है एवं उसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया। व्यवहारी अपीलार्थी डीलर है या नहीं, इसके लिये अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा, तदनुसृत स्थिति निम्न प्रकार से है :-

✓

"(cc) **"business"** includes-(i) any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture adventure or concern; and, (ii) any transaction in connection with, or incidental or ancillary to, such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;

but does not include activities of sale, supply or distribution of goods carried on without any profit motive by-

(i) any charitable or religious institution in the performance of its functions for achieving its avowed objects; and,

(ii) an educational institution, where such sale, supply or distribution is made to its students.

(ccc) "casual trader" means a person who has, whether as principal, agent or in any capacity, occasional transactions of a business nature involving the buying, selling, supply or distribution of such goods as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette whether for cash, or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(f) **"dealer"** means any person who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods directly or otherwise, ⁴[or making sales as defined in clause 2(0)] whether for cash, or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration and includes-

(i) ^{5**} a local authority, a company, an undivided Hindu family or any society (including a co-operative society), club, firm or association which carries on such business;

(ii) a society (including a co-operative society), club, firm or association which buys goods from, or sells, supplies or distributes goods to, its members;

(iii) a commission agent, a broker, a del credere agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods on behalf of any principal;

(iv) a casual trader.

Explanation- ⁵[1].- Every person who acts as an agent of a non-resident dealer, that is as an agent on behalf of a dealer residing outside the State and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as-

(i) a mercantile agent as defined in the Indian Sale of Goods Act, 1930 (Central Act 3 of 1930), or

(ii) an agent for handling goods or documents of title relating to goods, or

(iii) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or payment, and every local branch of a firm or company situated outside the State,

shall be deemed to be a dealer for the purposes of this Act.]

Explanation-.....

3.Incident of taxation.- (1) Subject to the provisions of this Act, every dealer whose turnover in the previous year in respect of sales or supplies of goods exceeds-

¹[(a) in the case of a dealer who imports goods, or manufactures any goods other than cooked food excluding bakery products Rs. 50,000/-

(b) in the case of dealer not falling in clause (a) Rs. 1,00,000/-

shall be liable to pay tax under this Act on his taxable turnover if his taxable turnover exceeds Rs. 10,000/- in the previous year :

Provided.....

6. Registration of dealers.- (1) Every dealer liable to pay tax under this Act shall get himself registered in the prescribed manner.


20. Cancellation of registration certificate.- The AA concerned may cancel a R.C. if, after giving the holder of the certificate a reasonable opportunity of being heard, he is satisfied that the holder of the certificate has obtained it by fraud.

12. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन करने एवं अधिनियम के प्रावधानों का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें सहकारी समिति भी सम्मिलित है, माल खरीदने, बिक्री करने, आपूर्ति करने अथवा मॉल का वितरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर करता है वह चाहे नकद अथवा बकाया भुगतान अथवा कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्राप्तियों के लिए करता हो तथा इसमें लोकल ऑथोरिटी, कंपनी हिन्दू संयुक्त परिवार तथा अन्य समिति, क्लब फर्म अथवा एसोसियेशन जो व्यवसाय करता हो सम्मिलित है, इसके लिए अधिनियम की धारा 2(f)(i) के तहत ऐसी समिति (सहकारी समितियों सहित) जो माल खरीदने है, बेचने हैं या आपूर्ति करने का व्यवसाय करती है इस अधिनियम के तहत "व्यवहारी" है। अधिनियम की धारा (f)(ii) के तहत ऐसी समिति डीलर की परिभाषा में आती है जो अपने सदस्यों के बीच मॉल का वितरण, आपूर्ति अथवा विक्रय करती हो। विद्वान सशक्त अधिकारी और अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के मामले में धारा 2(f)(ii) के प्रावधानों के अनुसार इस बात पर अधिक बल दिया है कि अपीलार्थी समिति अपने सदस्यों से मॉल न तो खरीदती है और न ही अपने सदस्यों को बेचती है। अतः ये डीलर की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है जबकि व्यवसायी अपीलार्थी द्वारा व्यवसाय किया जाना विभिन्न जांच व सर्वे में पाया गया है यहां तक की विभाग द्वारा पंजीयन दायित्व होने के कारण उक्त समिति को पंजीयन प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया गया है बल्कि समय-समय पर उक्त अपीलार्थी के साथ मॉल की खरीद बिक्री के संबंध में अनुबंध किये गये हैं जिसमें अपीलार्थी खान मालिक व विभाग के अधिकारी शामिल रहे हैं जिसमें अपीलार्थी व विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 06.02.1993 व 06.02.1983 व 28.01.1986 व 19.03.1988, 25.01.1992 व 15.03.1995 व 27.06.1995 की मिटिंग कार्यवाही दृष्टव्य हैं जिनके द्वारा समिति के साथ विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न क्यूबिक फीट तक परिवहनित मॉल पर कर संग्रहण हेतु कर दर तय की गई हैं अर्थात् विभाग लगातार उक्त अपीलार्थी समिति को कर वसूल करने और जमा कराने के लिए सहमति ही नहीं देता रहा है बल्कि भविष्य में पत्थर का बिक्री मूल्य बढ़ने पर अथवा कर दर बढ़ने पर कर संग्रहण की दरों में भी आनुपातिक वृद्धि के हिसाब से समिति खुद ही कर वृद्धि कर देने संबंधी निर्देश दिये जाते रहे हैं।

13. अपीलार्थी व्यवसायी के कर निर्धारण भी समय-समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जाते रहे हैं और यहां तक की आयकर विभाग द्वारा भी समिति के खातों से पत्थर की खरीद व बिक्री से होने वाले आय/लाभ पर आयकर का निर्धारण किया जाता रहा है जिसकी प्रतिलियां पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

लगातार.....7

14. एक लम्बे समय से जबकि व्यवहारी को 01.04.1981 से उसके द्वारा प्रस्तुत पंजीयन आवेदन पत्र पर संतुष्टि के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र दिया गया है तो लगभग 10 वर्ष पश्चात पंजीयन निरस्त कर देना न तो विधिक रूप से उचित था न ही अधिनियम के तहत निहित नियम 20 के तहत अपीलार्थी समिति के द्वारा छल-कपट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना साबित किया गया केवल तकनीकी आधार लेकर पंजीयन निरस्त किया गया है जो विधिक तौर पर उचित नहीं कहा जा सकता है।
16. यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रदत्त स्थगन आदेश के द्वारा व्यवहारी समिति का कार्य व्यवसायिक लगातार चलता रहा है और कर निर्धारण कर संग्रहण विवरणी प्रस्तुतीकरण होने से अब व्यवहारिक स्वरूप यह है कि पंजीयन को निरस्त करने से कोई लाभ न तो राज्य सरकार को होगा एवं न ही व्यवहारी जिसने कर संग्रहण किया है और राजकोष में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त भी प्रावधानों का अवलोकन किया जाये तो व्यवहारी अधिनियम की धारा 2(f)(i) के तहत अपीलार्थी व्यवसायी "व्यवहारी" है जिसका व्यवसाय करने पर प्राप्त पंजीयन को कपटपूर्णक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना साबित नहीं हुआ है अतः सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश अनुचित प्रतीत होता है तदुनुरूप दोनों अवर अधिकारियों के विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं।
17. फलतः व्यवहारी समिति की अपील स्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।


13.1.2012
(मदन लाल)
सदस्य